पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 45/2022

शुभकरण पुत्र सावित्री पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी मेहरिया त० भादरा।

:— वादी

बनाम

1. सज्जनकुमार पुत्र सावित्री पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी मेहरिया तहसील भादरा।
2. बलराज पुत्र सावित्री पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी मेहरिया त० भादरा।
3. रामप्रसाद पुत्र सावित्री पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी मेहरिया त० भादरा।
4. बिमलादेवी पुत्री सावित्री पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी मेहरिया त० भादरा।
5. कमली पुत्री सावित्री पत्नि रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी मेहरिया त० भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 525/450 में प्रतिवादी सं0 2 का नाम राजकुमार पुत्र रामस्वरूप तथा रोही मेहरिया के खाता सं0 80/79 में रामकुमार पुत्र रामस्वरूप की बजाय बलराज पुत्र रामस्वरूप किए जाने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

यदि प्रतिवादी सं0 2 बलराज पुत्र रामस्वरूप के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच राजकुमार पुत्र रामस्वरूप या रामकुमार पुत्र रामस्वरूप के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में राजकुमार पुत्र रामस्वरूप या रामकुमार पुत्र रामस्वरूप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए राजकुमार पुत्र रामस्वरूप या रामकुमार पुत्र रामस्वरूप के नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रतिवादी सं0 2 स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner